रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2014/फाल्गुन 30, 1935
No. 92] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2014/PHALGUNA 30, 1935

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2014

सं. एल–1/94/केविविआ/2011.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 (2) (ट) के साथ पठित धारा 61 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन तथा शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2014 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **मूल विनियम के विनियम 34 का संशोधन :**

मूल विनियम के विनियम 34 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"रंकिन साइकल पर आधारित बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मानकीय पूंजी लागत निम्नानुसार होगी :

क. जल शीतलन कॅन्डेन्सर सहित परियोजना [राईस स्ट्रॉ और जूलीफ्लोरा (बागान) आधारित परियोजना से भिन्न] के लिए ₹ 540 लाख/मेगावाट;

ख. जल शीतलन कॅन्डेन्सर सहित परियोजना [राईस स्ट्रॉ और जूलीफ्लोरा (बागान) आधारित परियोजना से भिन्न] के लिए ₹ 580 लाख/मेगावाट;

ग. जल शीतलन कॅन्डेन्सर सहित राईस स्ट्रॉ और जूलीफ्लोरा (बागान) आधारित परियोजना के लिए ₹ 590 लाख/मेगावाट;

घ. जल शीतलन कॅन्डेन्सर सहित राईस स्ट्रॉ और जूलीफ्लोरा (बागान) आधारित परियोजना के लिए ₹ 630 लाख/मेगावाट;

3. **मूल विनियम के विनियम 37 का संशोधन :**

मूल विनियम के विनियम 37 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"37 सहायक खपत"

सहायक खपत निम्नानुसार होगी :

क. जल शीतलन कन्डेन्सर का प्रयोग करने वाली परियोजना के लिए :

i. प्रचालन के पहले वर्ष के दौरान : 11%
ii. दूसरे वर्ष से आगे : 10%

ख. पवन शीतलन कन्डेन्सर का प्रयोग करने वाली परियोजना के लिए :

i. परिचालन के पहले वर्ष के दौरान : 13%
ii. दूसरे वर्ष से आगे : 12%

4. **मूल विनियम के विनियम 38 का संशोधन :**

मूल विनियम के विनियम 38 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"38. स्टेशन हीट दर

बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्टेशन हीट दर निम्नानुसार होगी :

क. ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर का प्रयोग करने वाली परियोजना के लिए 4200 केसीएएल/केडब्लूएच

ख. एएफबीसी बॉयलरों का प्रयोग करने वाली परियोजना के लिए 4125 केसीएएल/केडब्लूएच।"

5. **मूल विनियम के विनियम 39 का संशोधन :**

मूल विनियम के विनियम 39 के खंड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"39. प्रचालन तथा रखरखाव खर्चे

(1) नियंत्रण अवधि (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2013–14) के दूसरे वर्ष के लिए मानकीय ओ एंड एम खर्चे ₹ 40 लाख/मेगावाट होंगे।"

6. **मूल विनियम के विनियम 41 का संशोधन :**

मूल विनियम के विनियम 41 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"41. जीवाश्म ईंधन का उपयोग

जीवाश्म ईंधन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।"

7. **मूल विनियम के विनियम 43 का संशोधन :**

मूल विनियम के विनियम 43 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

"43. ऊष्मीय (कैलोरिफिक) मूल्य

टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त बायोमास ईंधन का ऊष्मीय मूल्य 3100 केसीएएल/केडब्लूएच होगा।"

8. **मूल विनियम के विनियम 44 का संशोधन :**

मूल विनियम के विनियम 44 के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"वैकल्पिक रूप में, बॉयोमास ईंधन कीमत का विनिश्चय स्वंतत्र सर्वेक्षण के माध्यम से समुचित विनियामक आयोग द्वारा वार्षिक रूप से किया जाएगा जिसे राज्य नोडल एजेंसी, राज्य सरकार, वितरण

अनुज्ञप्तिधारियों, बायोमास ऊर्जा उत्पादक एसोसिएशन तथा किसी अन्य संगठन के प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन करते हुए कार्यान्वित किया जा सकेगा।"

अजय कुमार सक्सेना, प्रमुख (इंजीनियरिंग)

[विज्ञापन III/4/असाधरण/150/13]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 20, तारीख 7.2.2012 को प्रकाशित किए गए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2014

No. L-1/94/CERC/2011.—In exercise of powers conferred under Section 61 read with Section 178 (2) (s) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2012 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:

1. Short title and commencement:

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) (First Amendment) Regulations, 2014.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Regulation 34 of the Principal Regulations:

Regulation 34 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"The normative capital cost for the biomass power projects based on Rankine cycle shall be as under:

a. ₹ 540 lakh/MW for project [other than rice straw and juliflora (plantation) based project] with water cooled condenser;

b. ₹ 580 lakh/MW for Project [other than rice straw and Juliflora (plantation) based project] with air cooled condenser;

c. ₹ 590 lakh/MW for rice straw and juliflora (plantation) based project with water cooled condenser;

d. ₹ 630 lakh/MW for rice straw and juliflora (plantation) based project with air cooled condenser."

3. Amendment of Regulation 37 of the Principal Regulations:

Regulation 37 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"37. Auxiliary Consumption

The auxiliary power consumption shall be as under:

a. For the project using water cooled condenser:

i. During first year of operation: 11%;

ii. From 2nd year onwards: 10%.

b. For the project using air cooled condenser:

i. During first year of operation: 13%;

ii. From 2nd year onwards: 12%."

4. Amendment of Regulation 38 of the Principal Regulations:

Regulation 38 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"38. Station Heat Rate

The Station Heat Rate for biomass power projects shall be as under:

a. 4200 kcal/kWh for project using travelling grate boilers;
b. 4125 kcal/kWh for project using AFBC boilers."

5. Amendment of Regulation 39 of Principal Regulations:

Clause (1) of Regulation 39 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"39. Operation and Maintenance Expenses

(1) Normative O&M expenses for the second year of the Control period (i.e. FY 2013-14 shall be ` 40 lakh/MW."

6. Amendment of Regulation 41 of the Principal Regulations:

Regulation 41 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"41. Use of Fossil Fuel

The use of fossil fuels shall not be allowed."

7. Amendment of Regulation 43 of the Principal Regulations:

Regulation 43 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"43. Calorific Value

The Calorific Value of the biomass fuel used for the purpose of determination of tariff shall be at 3100 kcal/kg."

8. Amendment of Regulation 44 of the Principal Regulations:

The following shall be added at the end of Regulation 44 of the Principal Regulations, namely:

"*Alternatively, biomass fuel price shall be decided annually by the appropriate Regulatory Commission through an independent survey which could be carried out by constituting a State level committee consisting of representatives of State Nodal Agency, State Government, Distribution Licensees, biomass power producers association and any other organization.*"

A. K. SAXENA, Chief (Engg.)

[ADVT. III/4/Exty./150/13]

Note : The Principal Regulations were published on 7th February, 2012 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, Sr. No. 20.

[F. No. 11015/5/PD/DHN/LA/NH-23/2880 Dt. 17-02-2014]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.